

दिल्ली विकास प्राधिकरण
नेताजी सुभाष खेल परिसर
जसोला, नई दिल्ली-110025

संख्या F2(152)NSSC/DDA/सिविलवर्क/23-24/1926

दिनांक: 06 सितंबर 2023

कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या- 06/एनएसएससी/डीडीए/2023-24

दिल्ली विकास प्राधिकरण, (स्पोर्ट्स विंग) की ओर से नेताजी सुभाष स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निम्नलिखित कार्यों के लिए ऑनलाइन कोटेशन पुनः आमंत्रित की जाती हैं। कोटेशन दो भागों में अपलोड किया जाएगा, अर्थात् 'भाग-I' जिसमें तकनीकी बोली होगी और 'भाग-II' जिसमें 'वित्तीय बोली' होगी। निर्धारित तरीके से अपलोड नहीं की गई बोली को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाएगा। केवल वे एजेंसियां/फर्म/व्यक्ति जिन्होंने समान कार्य पूरा किया है, जिन्होंने तीन या अधिक समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिनमें से प्रत्येक की लागत निविदा में रखी गई अनुमानित लागत का 40% से कम नहीं है, या दो पूर्ण किए गए कार्य हैं, जिनमें से प्रत्येक की लागत 60% से कम नहीं है। पिछले सात वर्षों के दौरान निविदा में डाली गई अनुमानित लागत, या एक पूर्ण कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत का 80% से कम न हो, सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुमानित लागत का 30% से अधिक वार्षिक कारोबार के साथ निविदा में रखा गया हो। मार्च 2022 को समाप्त होने वाले पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्षों में वैध यूडीआईएन वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन करने के हकदार हैं। इसका एक प्रमाण तकनीकी बोली के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। निविदाकर्ता को जीएसटी विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और निविदा के साथ पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। निविदाकर्ता को जीएसटी विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और निविदा के साथ पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। बयाना राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से "सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए (ईएमडी खाता)" के खाते में जमा की जाएगी, जिसका खाता नंबर 1614159849 "कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, (आईएफएससी। केकेबीके0000184)" है।

N.O.Wo.: -एनएसएससी/डीडीए, जसोला का रखरखाव।

एस.एच.: -एनएसएससी/डीडीए में क्रिकेट साइट स्क्रीन उपलब्ध कराना और ठीक करना।

अनुमानित लागत: रु. 7,16,926/- बयाना राशि: 14,339/-

(मात्रा की अनुसूची संलग्न)

कोटेशन दस्तावेज़ ई-टेंडरिंग पोर्टल यानी वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> या www.dda.org.in पर 15 सितंबर 23 (दोपहर 03:00 बजे) तक प्राप्त/डाउनलोड किए जा सकते हैं (अंतिम तिथि) बिक्री) और तकनीकी बोली 16 सितंबर 23 (दोपहर 3.30 बजे) को खोली जाएगी। आरटीजीएस/एनईएफटी का अद्वितीय लेनदेन संदर्भ कोटेशनकर्ता द्वारा निर्धारित तिथि तक ई-टेंडरिंग प्रणाली में अपलोड करना होगा।

तकनीकी बोली (पहला कवर)

तकनीकी बोली में कोटेशनकर्ताओं को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है:-

i. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के तहत आरटीजीएस/एनईएफटी (ईएमडी) के संदर्भ की स्कैन की गई प्रति या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) की वैध पंजीकरण प्रति।

ii. द्वितीय. पैन नंबर की स्कैन की गई कॉपी

iii. जीएसटी प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति।

iv. किसी भी सरकार में समान कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति। संगठन/पीएसयू

डीडीए के ठेकेदार पंजीकरण बोर्ड के पास जमा अपेक्षित शुल्क के प्रमाण की स्कैन की गई प्रति।

vi. मार्च 2022 को समाप्त होने वाले पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्ष के टर्नओवर की स्कैन की गई प्रतिलिपि, वैध यूडीआईएन वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित।

नियम एवं शर्तें:-

1. कार्य विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
2. उद्धृत दर में संबंधित राज्यों के तहत देय जीएसटी सहित सभी कर/लेवी शामिल होनी चाहिए, डीडीए इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
3. भुगतान आरई/सचिव/एनएसएससी, डीडीए की पूरी संतुष्टि के बाद किया जाएगा।
4. विभाग द्वारा कोई टीएंडपी जारी नहीं किया जाएगा।
5. कार्यादेश जारी होने के 30 दिन के अन्दर कार्य पूर्ण करना होगा।
6. एजेंसी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
7. आयुक्त (खेल) बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली/कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
8. यदि कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं होता है तो कार्य घटिया पाए जाने पर संबंधित एजेंसी को डिबार करने का अधिकार आयुक्त (खेल) के पास सुरक्षित है।
9. सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. यथा लागू आवश्यक वैधानिक कटौतियाँ की जाएंगी।
11. निविदा राशि से 10% सुरक्षा जमा राशि की कटौती की जायेगी।
12. साइट पर किसी भी नाबालिग को काम पर नहीं लगाया जाएगा।
13. विभाग द्वारा एजेंसी को कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
14. कोटेशन की वैधता खुलने की तारीख से 60 दिन है।
15. वर्जित एजेंसी/या व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजेंसी प्रतिष्ठित होनी चाहिए और उसकी कोई धूमिल प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए।
16. किसी भी व्यक्ति, जिसे प्रतिबंधित किया गया है, को किसी भी बातचीत में भाग लेने या किसी एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है, भले ही उसके पास एजेंसियों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी हो। वर्जित व्यक्तियों को शामिल करने वाली कोई भी एजेंसी भी वर्जित करने के लिए उत्तरदायी है।
17. एजेंसी में शामिल व्यक्तियों के बजाय एजेंसियों के अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें स्वामित्व शामिल नहीं है।
18. अनुसूची में मदों की मात्रा अस्थायी है जो साइट की स्थितियों के आधार पर बदल सकती है।
19. यदि संपूर्ण कार्य कार्य आदेश में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो यह सचिव/एनएसएससी का पूर्ण विवेक होगा कि वह आइटम के कार्य को उन शर्तों पर स्वीकार करें जिन्हें सचिव उचित और उचित समझें या आपूर्ति रद्द करें/ कार्य आदेश/कार्य के विरुद्ध किसी भी भुगतान को रोकने/बयाना राशि जप्त करने या संबंधित एजेंसी को प्रतिबंधित करने के लिए। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी फोरम के समक्ष उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
20. कार्य सम्पादन के दौरान ठेकेदार पूर्णतः उत्तरदायी होगा। यदि साइट/आसपास पर कोई हानि/चोरी/क्षति होती है, तो उसे उद्धृत दरों के साथ पूरा किया जाएगा या एजेंसी से वसूल किया जाएगा/एजेंसी के जोखिम और लागत पर पूरा किया जाएगा।
21. यदि कोई एजेंसी पहली बार दोषपूर्ण या अधूरी निविदा प्रस्तुत करती है, तो जमा की गई बयाना राशि का 20% जप्त कर लिया जाएगा। हालाँकि, यदि एजेंसी गलती करती है या बाद की निविदाओं में फिर से अधूरी निविदा प्रस्तुत करती है और सक्षम प्राधिकारी को पता चलता है कि चूक उसके इरादे में जानबूझकर, लापरवाही या दुर्भावनापूर्ण है, तो बिना कोई कारण बताए बयाना राशि जप्त कर ली जाएगी और निविदाकर्ता को ऐसा करना होगा। भविष्य की निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
22. यदि बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरें समान हैं, तो निर्णय पर पहुंचने के लिए, कॉम्प्लेक्स के सचिव, आरई और कॉम्प्लेक्स के डीडीओ की एक समिति द्वारा लॉटरी निकाली जाएगी।
23. एजेंसी में शामिल व्यक्तियों के बजाय एजेंसियों के अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें स्वामित्व शामिल नहीं है।
24. डीडीए के सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों की वास्तविक समय की प्रतिक्रिया के आधार पर जब भी सेवा में कमी देखी जाएगी तो उसे सुधार के लिए एजेंसी/ठेकेदार को सूचित किया जाएगा। यदि सूचना के समय से निर्धारित अवधि के भीतर कोई सुधार/सुधार नहीं होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आनुपातिक कटौती, एजेंसी/ठेकेदार से की जाएगी।

में कॉपी:-

1. आयुक्त (खेल), डीडीए- कृपया जानकारी के लिए।
2. निदेशक (सिस्टम)/डीडीए ई-मेल के माध्यम से। ddatender@dda.org.in.
3. सीनियर ए.ओ. (खेल), डीडीए।
4. डीडीए खेल परिसरों के सभी सचिव।
5. डीडीए कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ई-18 विकास कुटीर, नई दिल्ली।
6. डीडीए कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन, कमरा नंबर 12, बैरक नंबर 1, ब्लॉक-ए, विकास कुटीर, नई दिल्ली।
7. दिल्ली कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन (सी), 306, मस्जिद मोठ, एनडीएसई, भाग- II, नई दिल्ली।
8. एएओ/एनएसएससी।
9. नोटिस बोर्ड.

आरई/एनएसएससी/डीडीए

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Netaji Subhash Sports Complex
Jasola, New Delhi-110025

No F2(152)NSSC/DDA/Civilwork/23-24/1926

Dated : 06 Sep 2023

NOTICE INVITING QOTATION NO.- 06/NSSC/DDA/2023-24

Online quotations are re-invited on behalf of Delhi Development Authority, (Sports Wing) for the following works at Netaji Subhash Sports Complex. **The quotation shall be uploaded in two parts, namely, 'Part -I' containing Technical Bid and 'Part – II' comprising 'Financial Bid'. The bid not uploaded in accordance with the prescribed manner will not be accounted for at all.** Only those agencies/ Firm/ Person having completed similar work who have successfully completed three or more similar nature of works each costing not less than 40% of the estimated cost put to tender, or two completed works costing each not less than 60% of the estimated cost put to tender, or one completed work costing not less than 80% of estimated cost put to tender **during the last seven years in Government Department** or Public Sector undertaking with annual turnover more than 30% of the estimated cost in each year during the immediate last three consecutive financial years ending March 2022 duly certified by Chartered Accountant having valid UDIN are entitled to apply. A proof thereof should be uploaded with the Technical Bid. The tenderer should be registered with the GST Department and furnish a copy of registration with the tender. The tenderer should be registered with the GST Department and furnish a copy of registration with the tender. Earnest money shall be deposited through RTGS/NEFT in the account of “CAU SPORTS DDA (EMD ACCOUNT)” having Account No. 1614159849 with “Kotak Mahindra Bank, Gulmohar Park, New Delhi, (IFSC. KKBK0000184).”

N.O.Wo.:-Maintenance of NSSC/DDA, Jasola.

S.H:- Providing and fixing Cricket Sight Screen at NSSC/DDA.

Estimated Cost: Rs.7,16,926/-
14,339/-

Earnest Money :

(SCHEDULE OF QUANTITY ATTACHED)

Quotation documents can be obtained / download on the e-tendering portal i.e. **website <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> or www.dda.org.in upto 15 Sep 23 (03:00 pm) (last date of sale) and Opening of technical bid on 16 Sep 23 (3.30 PM)**. The unique transaction reference of RTGS/NEFT shall have to be uploaded by the quotationer in the E-Tendering system by the prescribed date.

TECHNICAL BID (FIRST COVER)

The quotations are required to furnish following documents in technical bid:-

- i. Scanned copy of reference of RTGS/NEFT (EMD) or valid registration copy of National Small Industries Corporation (NSIC) under public procurement policy for Micro Small & Medium Enterprises (MSMEs).
- ii. Scanned copy of PAN No.
- iii. Scanned copy of GST Certificate.
- iv. Scanned copy of Experience Certificate of similar work in any govt. organization/PSU.
- v. Scanned copy of Proof of requisite fee deposited with Contractors Registration Board of DDA.
- vi. Scanned copy of turnover of last three consecutive financial year ending March 2022 duly certified by Chartered Accountant having valid UDIN.

TERMS & CONDITIONS:-

1. The work shall be done as per specifications.
2. Quoted rate should be inclusive of all taxes / levies including GST, payable under respective states, DDA will not entertain any claim, whatsoever in this regard.
3. The payment will be made after entire satisfaction of RE/Secretary/NSSC, DDA.
4. No T & P will be issued by Department.
5. Work shall be completed within 30 days after issuing the work order.
6. No advance payment will be made to the agency.
7. Commissioner (Sports) reserves the right to accept or reject any bid / quotation without assigning any reason.
8. Commissioner (Sports) reserves the right to debar the concerned agency if the work is not completed in stipulated time as work is found to be substandard.
9. Conditional quotation will not be accepted.
10. Necessary statutory deductions as applicable will be made.
11. 10% Security Deposit will be deducted from the tender amount.
12. No minor shall be engaged at site.
13. Nothing extra will be paid to the agency by the department.
14. Validity of Quotation is 60 days from the date of opening.
15. Debarred agency / or individual shall not be permitted to participate in the tendering process. Agency should be reputed and does not have any tarnished reputation.
16. Any individual who has been debarred is not permitted to take part in any negotiations or represent an agency even if he holds a power of attorney on the agencies behalf. Any agency engaging debarred persons is also liable to debarring.
17. The experience of agencies should be taken into account rather than individuals incorporated with the agency, which does not include proprietorship.
18. The quantities of items in schedule are tentative which may change depending upon site conditions.
19. If the entire work is not done within the stipulated time mentioned in work order, it will be sole discretion of the Secretary/NSSC to accept the work of item on such terms as the Secretary deemed fit and proper or to cancel the supply/work order/ to stop any payment against the work / to forfeit the earnest money or to debar the concerned agency. The decision of the Competent Authority in this behalf shall be final and not to be called in question before any Forum.
20. The contractor will be fully responsible during execution of work. If any loss/ theft/ damage caused at site/surrounding, the same shall be made good with in quoted rates or recovered from the agency/shall be made good at agency's risk and cost.

21. If any agency submits a faulty or incomplete tender for the first time, 20% of the earnest money so deposited shall be forfeited. However, if the agency commits fault or submits incomplete tender again in the subsequent tenders and the competent Authority finds that the default has been wilful, negligent or malafide in its intent, the earnest money shall be forfeited absolutely without assigning any reason and the tenderer shall not be allowed to participate in future tendering.
22. In case the rates quoted by the bidders are same, then in order to arrive at a decision, a draw of lots shall be carried out by a Committee comprising of Secretary of the Complex, RE and DDO of the complex.
23. The experience of agencies should be taken into rather than individuals incorporated with the agency, which does not include proprietorship.
24. Based on real time feedback of members and administrative staff of DDA as and when a deficiency of service is noticed the same will be intimated to the agency/ contractor for rectification. In case there is no improvement/ rectification within prescribed period from the time of intimation proportionate deduction, as approved by the Competent Authority, shall be made from the agency/ contractor.

RE/NSSC/DDA

Copy to:-

1. Commissioner (Sports), DDA-For information please.
2. Director (System)/DDA through E-Mail. ddatender@dda.org.in.
3. Sr. A.O. (Sports), DDA.
4. All Secretaries of the DDA Sports Complexes.
5. DDA Contractor association E-18 Vikas kuteer, New Delhi.
6. DDA Contractor Welfare Association, Room no.12, Barrack no.1, Block-A,Vikas Kuteer,New Delhi.
7. Delhi Contractor Welfare Association (C), 306,Masjid Moth, NDSE, Part-II, New Delhi.
8. AAO / NSSC.
9. Notice Board.

RE/NSSC/DDA